संख्या-15/20/95-का-4-2000

प्रेषक,

डी0 के0 वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ : दिनांक: 04 सितम्बर, 2000

विषय:- लोक सेवा आयोग को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 1996, दिनांक 28 मई, 1997, दिनांक 20 मई, 1998 , दिनांक 02 अगस्त, 1999 एवं दिनांक 16 - सितम्बर, 1999 में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी तक लोक सेवा आयोग को समय से अधियाचन प्रेषित न किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं ।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुन: निदेश हुआ है, कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों के प्राविधानानुसार, सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, सुस्पष्ट अधियाचन स-समय लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । सम्मिलित राज्य/ अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2001 के अधियाचन निर्धारित प्रारूप पर, आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए, सेवानियमावलियों की प्रति के साथ विलम्बतम दिनांक 30 सितम्बर, 2000 तक लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(डी0 के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2000, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-145/2/ई-1/2000-2001, दिनांक 11 अगस्त, 2000 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

(डी0 के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।